भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2228
सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

कृषि क्षेत्र में रोजगार

2228. श्री महाबली सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में रोजगार की अत्यधिक संभावना को देखते हुए युवाओं के बीच रुचि बढ़ाने के लिए कृषि में प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या युवाओं को बागवानी, मधुमक्खी पालन और पशुपालन में रोजगार पाने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के लिए क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, मंत्रालय "कृषि विस्तार पर उप मिशन" के अंतर्गत "कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्रों की स्थापना (एसी एवं एबीसी)" नामक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि कृषि तथा संबद्ध विज्ञान में योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवकों को लाभप्रद स्व-रोजगार के अवसर प्रदान कराए जा सके।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 2015-16 से देश के 100 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि में युवाओं को आकर्षित करना तथा बनाए रखना (आर्या) नामक एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य लाभप्रद रोजगार तथा धारणीय आय सृजन हेतु कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को सशक्त बनाना है।

(ग) एवं (घ): कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रहा है। एमआईडीएच अन्य बातों के साथ-साथ कौशल विकास का समर्थन करता है और बागवानी तथा कटाई के बाद के प्रबंधन में विशेष रूप से कोल्ड चेन क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए रोजगार सृजन के अवसर पैदा करता है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ तीन वर्ष (2020-21 से 2022-23) के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन भी शुरू किया है। एनबीएचएम में किसानों/मधुमक्खी पालकों के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार, कौशल विकास आदि के घटक शामिल हैं।

पशुपालन और डेयरी मंत्रालय उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा विकसित योग्यता पैक पर कुक्कुट, भेड़ और बकरी, सुअर पालन और चारे की खेती के क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 'बहुउद्देशीय एआई तकनीशियनों (मैत्री)' का एक पूल बनाने के लिए ग्रामीण युवाओं की क्षमता निर्माण हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(ङ): कृषि क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के माध्यम से कृषि विस्तार पर उप-मिशन के तहत, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों पर उनके ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के लिए ग्रामीण युवाओं को लघु अवधि का 7 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) आयोजित किया जाता है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत-कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ़्तार) के अंतर्गत, नवाचार और कृषि-उद्यमशीलता कार्यक्रम के अन्तर्गत ज्ञान भागीदारों द्वारा स्थापित कृषि-ऊष्मायन केंद्रों द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

*****